कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
16–मदन मोहन मालवीय मार्ग
लखनऊ।

पत्र संख्या 236/प्र0नि0–शिविर/2024–25 दिनॉक : 25 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर विभिन्न प्रकार के नदी सेतुओं/रेल उपरिगामी सेतुओं/फ्लाई ओवर्स का निरन्तर निर्माण किया जा रहा है तथा सेतुओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित संस्थाओं विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग को हस्तगत कर दिया जाता है जबकि पहुॅच मार्ग का निर्माण कार्य जहॉ पर अन्य संस्था /लोक निर्माण विभाग द्वारा अपूर्ण होता है या आशिक रूप से निर्मित होता है, ऐसी स्थिति में सेतु के ऊपर से यातायात का संचालन न होने के बावजूद भी कुछ वाहनों द्वारा अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करते हुए सेतु को पार किये जाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित होना सम्भावित हो जाती है, जिससे वाहन चालक एवं वाहन में सवार सभी यात्री घायल/दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त विषम स्थिति से बचाव के लिए निर्माणाधीन सेतु पर निम्न प्राविधान शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें :

1. ऐसे सेतुओं का निर्माण कार्य जो अभी आंशिक रूप से पूर्ण है तथा शेष भाग का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे सेतुओं के प्रारम्भ एवं अन्तिम स्थान पर पूरी चौड़ाई में 14 इंच मोटी दीवार (1:3 सीमेण्ट मोर्टार में) बनाकर वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रखा जाये तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश रिफलेक्टिव बोर्ड में दोनो तरफ प्रदर्शित किये जाये। दीवार के ऊपर रात्रि के समय चमकने वाले रिफलेक्टर टेप /पेण्ट आदि अवश्य रूप से लगाये जाये, जिससे रात्रि के समय दीवार पूर्णतः चिन्हित रहे।

2. ऐसे सेतु जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा पहुॅच मार्ग का कार्य लो0नि0वि0/अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा पूर्ण किया जाना है ऐसी स्थित में सेतु के प्रारम्भ एवं अन्तिम स्थान पर पूरी चौड़ाई में एक मजबूत 14 इंच मोटी दीवार (1:3 सीमेण्ट मोर्टार में) बनायी जाये तथा जिन सेतुओं की लम्बाई 200 मीटर से अधिक है उन सेतुओं में विशेष रूप से प्रत्येक 5 स्पान के पश्चात् पूरी चौड़ाई में एक मजबूज 14 इंच मोटी दीवार (1:3 सीमेण्ट मोर्टार में) बनायी जाये। दीवार के ऊपर रात्रि के समय चमकने वाले रिफलेक्टर टेप/पेण्ट आदि अवश्य रूप से लगाये जाये, जिससे रात्रि के समय दीवार पूर्णतः चिन्हित रहे। उपरोक्त सुरक्षात्मक कार्य किये जाने के पश्चात् ही सेतु को हस्तगत किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(धर्म वीर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01 मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
02. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नियोजन)/(यॉत्रिक)/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
03 महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक (आगणन/मुख्यालय/यॉत्रिक/वाद–परिवाद/ नियोजन/गुणवत्ता–नियंत्रण/ आई0एस0ओ0/परिकल्पना), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ/सिक्किम/आसाम।
04 अंचल के समस्त महा प्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, आगरा/अयोध्या/आजमगढ़/बरेली/गाजियाबाद/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/ वाराणसी।
05 मुख्य प्रबन्धक (यॉत्रिक)/मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
06 परियोजना प्रबन्धक (सिविल)/(यॉत्रिक)/उप परियोजना प्रबन्धक (सिविल)/(यॉत्रिक), सेतु निर्माण इकाई/यॉत्रिक इकाई, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,.....।
07 महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर सेल) उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति सेतु निगम की वेब–साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

25/11/24
प्रबन्ध निदेशक